मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 5/3/2010/53/1 भोपाल, दिनांक 17 सितम्बर 2010

प्रति

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश

विषय– मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2010 के क्रियान्वयन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2010 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम तथा चिन्हित सेवाओं की अधिसूचना की प्रति संलग्न है। यह अधिनियम एवं नियम दिनांक 25 सितम्बर 2010 से प्रवृत्त होंगे।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2010 को लागू करने का मूल उद्देश्य अधिसूचित सेवाओं को समय–सीमा में नागरिकों को उपलब्ध कराने का है। पदाभिहित अधिकारी से यह अपेक्षा होगी कि वह आवेदन प्रस्तुत होने पर आवेदकों को अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वांछित अभिस्वीकृति जारी करे तथा आवश्यक कार्यवाहियॉ पूर्ण कर, समय–सीमा के भीतर सेवा उपलब्ध करा दे। अगर किन्हीं कारणों से सेवा उपलब्ध कराना संभव नहीं हो तो भी आवेदन का निराकरण निश्चित की गई समय–सीमा के भीतर करना अनिवार्य होगा।

अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् नागरिकों को निर्धारित समय–सीमा में अधिसूचित सेवाऍ प्राप्त करने की गारंटी मिलेगी, अर्थात् इन सेवाओं को प्राप्त करना उनका वैधानिक अधिकार होगा। पदाभिहित अधिकारी, प्रथम तथा द्वितीय अपील अधिकारी से यह अपेक्षा है कि वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपने दायित्वों का सतर्कता से निर्वहन करे।

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2010 के अन्तर्गत निर्मित नियम 19 मॉनिटरिंग एवं निरीक्षण के अन्तर्गत निम्न निर्देश जारी किये जाते हैंः–

1. प्रत्येक अधिसूचित सेवा के मापदण्डों का निर्धारण तथा उससे संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित प्रशासकीय विभाग द्वारा दिये जाते हैं । उदाहरणतः सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने की सेवा सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन वस्तुतः एक योजना है तथा इसके कियान्वयन के समस्त बजट एवं विभागीय निर्देश सामाजिक न्याय विभाग द्वारा दिये जाते हैं। परन्तु हितग्राही को इस योजना का लाभ लेने के लिए शहरी क्षेत्र में नगरीय निकाय के मुख्य कार्यपालिक अधिकारी, जो नगरीय प्रशासन विभाग के नियंत्रण में कार्य करता है, के पास जाना पड़ता है। हालांकि योजना सामाजिक न्याय विभाग की है परन्तु उसका पदाभिहित अधिकारी नगरीय प्रशासन विभाग का अधिकारी होगा। आवेदक सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निर्धारित किये गये आवेदन के प्रारूप में ही पदाभिहित अधिकारी को आवेदन कर सकेगा। इस आवेदन के साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जो भी दस्तावेज आवश्यक हो उन्हें संलग्न करेगा। तदुपरांत वह इस आवेदन को पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा जो निश्चित समय सीमा में पेंशन प्रदाय करेगा। इस प्रकार प्रदत्त पेंशन ही वस्तुतः सेवा प्रदान करने की कार्यवाही है।

2. अपना उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदक निर्धारित आवेदन पत्र के ऊपर यह लिख सकेगा कि वह मध्यप्रदेश लोक सेवाओ के प्रदान की गारण्टी अधिनियम–2010 की धारा–5 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर रहा हैं । इस आवेदन पत्र की सम्यक अभिस्वीकृति दी जायेगी तथा उसका निपटारा निर्धारित निश्चित समय सीमा में किया जायेगा। परन्तु अगर वह आवेदन पत्र पर धारा 5 का उल्लेख नहीं करता तो भी अधिसूचित सेवाओं को प्राप्त करने का उसका आवेदन अधिनियम के अंतर्गत ही प्रस्तुत माना जावेगा।

3. अधिनियम के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियम तथा अधिसूचित सेवाओं का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है परन्तु यह संभव है कि कुछ पात्र व्यक्ति पूर्ववत अपने आवेदन संबंधित शासकीय कार्यालयों में जमा करते रहे तथा उन्हें अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त अपने अधिकारों का समुचित ज्ञान न हो । यह स्पष्ट किया जाता है कि अगर अधिसूचित सेवाओं के संबंध में कोई भी आवेदन संबंधित विभाग के किसी कार्यालय में प्राप्त होताहै तो संबंधित आवेदक को अधिनियम के अंतर्गत उसे प्राप्त अधिकारों की जानकारी दी जायगी तथा उसे पदाभिहित अधिकारी के पास भेजा जाए जहां उसकी विधिवत अभिस्वीकृति देकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवा प्रदान की जाएगी। कार्यालय प्रमुख ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

4. भू–राजस्व संहिता की धारा–15 के अंतर्गत नियुक्त अपर आयुक्त, आयुक्त द्वारा निर्देशित किये जाने पर इस अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे ।

5. भू–राजस्व संहिता की धारा–17 के अंतर्गत जिले में नियुक्त अपर कलेक्टर जिला कलेक्टर द्वारा निर्देशित किये जाने पर इस अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे ।

6. इसी प्रकार भू–राजस्व संहिता की धारा –19 के अंतर्गत जिला कलेक्टर के लिखित निर्देशानुसार अपर तहसीलदार भी इस अधिनियम के अंतर्गत तहसीलदार को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे ।

7. अगर कोई अधिकारी को किसी पदाभिहित अधिकारी, प्रथम अपील अधिकारी, द्वितीय अपील अधिकारी के मूल पद का चालू कार्यभार सौंपा गया हो तो वह ऐसे चालू कार्यभार की अवधि के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए सक्षम एवं उत्तरदायी होगा।

8. प्रत्येक पदाभिहित अधिकारी नियमों में निर्धारित प्रारूप–3 में अपने कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड लगायेंगे। इस नोटिस बोर्ड का साईज़ तथा उस पर लिखावट इस प्रकार

की हो कि वह आम जन द्वारा आसानी से पढ़ी जा सके । यह नोटिस बोर्ड कार्यालय के प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए। ध्यान रखा जाए कि नोटिस बोर्ड पर पदाभिहित अधिकारी का नाम एवं पदनाम भी लिखा जाना है। अधिकारी का स्थानांतर होने पर नये पदभिहित अधिकारी का नाम तुरंत नोटिस बोर्ड में लिखा जाएगा।

9. प्रत्येक प्रथम अपील अधिकारी तथा द्वितीय अपील अधिकारी भी अपने कार्यालय के बाहर उपरोक्तानुसार नोटिस बोर्ड प्रदर्शित करेंगे। उदाहरणतः आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के कार्यालय के बाहर लगने वाले नोटिस बोर्ड का नमूना परिशिष्ट–1, 2 संलग्न है ।

10. प्रथम अपील अधिकारी एवं द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से अभिस्वीकृति दिये जाने का कोई प्रारूप नियमों में प्रावधानित नहीं है परन्तु अपील आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक को अपील क्रमांक एवं पेशी दिनांक दी जानी अनिवार्य होगी। इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए प्रथम/द्वितीय अपील अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित सेवा प्रदान करने में यदि कोई कठिनाई हो अथवा आपके कोई सुझाव हों तो उन्हें निम्न पते पर ई–मेल करने का कष्ट करें :–

ई–मेल pspgr@mp.gov.in

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक सेवा प्रबंधन विभाग